

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2014

विषय:- अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत करायी गयी चिकित्सा हेतु अनुमन्य धनराशि में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988 व शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 तथा नियुक्ति विभाग का शासनादेश संख्या-यू0ओ0-617/5-6-2000-53(39)/92 दिनांक 04 जुलाई, 2000 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1954 के अन्तर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988 व शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 द्वारा राज्य सरकार के मुख्यालय में स्थित अधिकारियों के लिये रू0-250/- तथा लखनऊ मुख्यालय के बाहर कार्यरत अधिकारियों के लिये रू0-500/- तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे।

2- शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87, दिनांक 06.02.1988 एवं शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के मुख्यालय में स्थित अधिकारियों के लिये निर्धारित एक समय में अनुमन्य की गयी धनराशि रू0 250/- (रू0 दो सौ पचास मात्र) तथा लखनऊ मुख्यालय के बाहर कार्यरत अधिकारियों के लिये रू0-500/- (रूपया पॉच सौ मात्र) तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से वृद्धि करते हुए महामहिम राज्यपाल रू0 750/- (रू0 सात सौ पचास मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस प्रकार अनुमन्य भुगतान को स्वीकृत करने एवं भुगतान कराये जाने में शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988, शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 व शासनादेश संख्या-यू0ओ0-617/5-6-2000-53(39)/92 दिनांक 04 जुलाई, 2000 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 860/X/2014, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2206(1)/पॉच-6-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ✓ 6- विभागीय वेब मास्टर।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।
५